

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 71 / 3-3(5)/2020-21

दिनांक, 20 मई, 2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग,
पौड़ी, उत्तराखण्ड।

विषय :- वार्षिक कार्ययोजना 2020-21 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2020-21 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय कैम्पा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनिवार्य तथा वचनबद्ध गतिविधियों के ससमय क्रियान्वयन के दृष्टिगत विभिन्न मदों के अंतर्गत व्यय की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त के कम में आपके वन प्रभाग के अंतर्गत संलग्न तालिकानुसार गतिविधियों के सापेक्ष भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार प्रथम किरस्त के रूप में कुल ₹ 175.52 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष आवंटित लक्ष्यों को तदनुसार निर्धारित मानकों के अनुसार पूर्ण करते हुए, किये गये कार्य की ससमय MIS प्रविष्टि पूर्ण कराने का कष्ट करें। क्रियान्वयन हेतु निम्न शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:-

- (क) क्षतिपूरक वनीकरण - वृक्षारोपण का कार्य वर्ष 2019-20 में पूर्ण किये गये अग्रिम मृदा कार्य के सापेक्ष निर्धारित वन भूमि हस्तांतरण प्रकरण एवं चयनित स्थलों पर ही किया जाए। कार्य पूर्ण करने के साथ-साथ MIS में संबंधित वन भूमि हस्तांतरण प्रकरण के सापेक्ष प्रविष्टि अनिवार्य रूप से अंकित की जाए।
- (ख) अन्य विशिष्ट कार्यों के अंतर्गत पथ वृक्षारोपण, गैप फिलिंग व बौनी प्रजातियों का रोपण का कार्य निर्धारित वन भूमि हस्तांतरण प्रकरण के सापेक्ष ही किया जाए।
- (ग) मृदा एवं जल संरक्षण से संबंधित गतिविधियां वन विभाग के मुख्यालय के स्तर पर स्थापित 'स्प्रिंगशेड मैनेजमेंट कंसोर्शियम' की गाइडलाइन/डी0पी0आर0 के अनुसार संपन्न की जाएं।
- (घ) नदियों का पुनर्जीवन से संबंधित कार्य सक्षम स्तर से अनुमोदित डी0पी0आर0 के अनुसार ही कराए जाएं। इसके अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों का पूर्ण विवरण (भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों सहित) तथा डी0पी0आर0 की एक प्रति कार्य प्रारंभ किये जाने से पूर्व इस कार्यालय को उपलब्ध कराए जाएं।

अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में शेष नियम एवं शर्तें निम्नानुसार लागू रहेंगी।

नियम एवं शर्तें :-

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
6. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/ डिजिटल माध्यम से ही किये जायें।
8. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
9. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
10. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
11. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
12. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
13. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। वजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
14. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
15. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
16. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
17. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में वजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
18. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
19. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
20. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
21. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
22. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
23. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
24. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।
25. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लसीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

4/20/25

(डॉ० समीर सिन्हा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 71 /3-3(5)/2020-21 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

4/20/25

(डॉ० समीर सिन्हा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

RELEASES IN MANDATORY AND COMMITTED ACTIVITIES UNDER APO 2020-21

Amount in Lakh ₹

Division: Garhwal

Division: Garhwal

S. No.	Head	Unit	Physical Target		Proposed Amount	Remark
			Physical	Financial		
COMPENSATORY AFFORESTATION						
1	Compensatory Afforestation - Plantation	ha	156.56	61.21	30.61	
2	Plantation Maintenance	ha	718.37	115.78	57.89	
3	CA Nursery - Maintenance	Nos.	15900	0.55	0.28	
4	Contour Trenches	ha	60	6.00	3.00	
5	Soil and Water Conservation Measures - Chal Khal	Nos.	80	4.00	2.00	
6	Soil and Water Conservation Measures - Check Dams	Nos.	16	5.00	2.50	
7	Creation of Water Bodies					
	2.50 lakh litre capacity	Nos.	1	1.00	0.50	
	1.00 lakh litre capacity	Nos.	3	1.50	0.75	
	0.50 lakh litre capacity	Nos.	7	2.10	1.05	
	0.20 lakh litre capacity	Nos.	12	2.40	1.20	
8	Rejuvenation of Water Sources	Nos.	8	1.50	0.75	
9	Rejuvenation of Rivers	Nos.	1	75.00	75.00	Nayar River.
	TOTAL			276.04	175.52	

Ali
mm

P
4/20/5